भूगोल विभाग,
सूचना पटल
को मजाक पूर्ण व्यवहार से या अन्य, प्रकार से कार्य करने के लिये उत्प्रेरित बाध्य या
मजबूर करना, जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान
या उपहास होना दर्शित हो या उसे अभित्रास सदोष-परिरोध या क्षति या उस पर
अपराधिक बल के प्रयोग या सदोष अवरोध सदोष परिरोध क्षति या आपराधिक बल
का प्रयोग कर अभित्रास देते हुए किसी विधिपूर्ण कार्य करने से रोकता है।
रैगिंग का प्रतिरोध- किसी भी शैक्षणिक संस्था का छात्र प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः
न तो रैगिंग करेगा और न ही उसमें भाग लेगा।
अपराध की प्रकृति- इस अधिनियम के तहत संज्ञान किए जाने योग्य प्रत्येक संज्ञेय व
गैर जमानतीय है।

छ.ग. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम 2001

छ.ग. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम 2001
NSS

छ.ग. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम 2001
NSS
श्री राधेश्याम साहू

शहीद डोमेश्वर साहू शासकीय महाविद्यालय
जामगांव (आर) भरर, जिला-दुर्ग
रैगिंग-एक गुनाह
छ.ग. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम 2001
कक्ष क्रमांक 13
भूगोल विभाग
विद्यार्थी